राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामफूल बनाम केसरी

तारीख हुक्म	256/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी दिनांक 07/10/2025 को प्रस्तुत लिखित बहस को शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता रेस्पो. ने लिखित बहस पेश की, जिसे शामिल मिसल किया गया तत्पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: अपील निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/12/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
18.12.25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/06/2015 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 15/11/2016 पारित की गयी जिनके विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष अपीले प्रस्तुत होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15/12/2017 के माध्यम से प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को सुना जाकर पुन: निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2018 पारित करते हुए तहसीलदार कोटखावदा को ग्राम थूणी मदनमोहनपुरा, तहसील कोटखावदा में स्थित विवादग्रस्त आराजीयात का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर रास्ते का प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं उसके परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री एवं न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 15/12/2017 की प्रति का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपीलार्थी सहित सभी पक्षों की सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15/12/2017 के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमश: 16/06/2015 व 15/11/2016 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रामफूल बनाम केसरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
256/2025		

गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना जाकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2018 पारित करते हुये विवादग्रस्त भूमि का तकासमा मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर रास्ते का प्रावधान रखते हुये दोनों पक्षों की मौजूदगी में कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के जो आदेश प्रदान किये गये है, वह उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होते है। विधि के प्रावधानों के अनुसरण में भी जब तक राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्जसहखातेदारान के हिस्से के सन्दर्भ में किसी पक्षकार/सहखातेदार द्वारा काउन्टर क्लेम इत्यादि के माध्यम से उज्र प्रकट नही किया गया हो तो सहखातेदारान के मध्य प्रश्नगत भूमि को जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु कुर्रेजात तलब किये जाने होते है एवं अपीलार्थी द्वारा जमाबन्दी में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सम्बन्ध में कोई आपत्ति जाहिर नही कर मात्र तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री को अपील के माध्यम से चुनौती देते हुये उन्हें निरस्त करवाना चाहा गया है किन्तु सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक आवश्यक एवं अनिवार्य प्रक्रियां होने के तथ्य को संज्ञान में रखते हुये तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर विधिसम्मत पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना उचित नही समझा जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17/05/2018 को यथावत रखते हुये अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर